दिनांक 20.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 23/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना कलवारी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को थाना कलवारी, थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुड़ियारी सड़क पर बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो, बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सद्दाम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बस्ती से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कलवारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सद्दाम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर।

बरामदगी

1—नगद रूपये।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना खीरों

- **12 हजार 500 रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.02.2025 को थाना खीरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—मनोज कुमार 2—विनोद 3—सूरज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना खीरों पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 12 हजार 500 रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खीरों पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज कुमार निवासी ग्राम पूरे लाल साहब थाना खीरों जनपद रायबरेली।

2—विनोद निवासी ग्राम पूरे लाल साहब थाना खीरों जनपद रायबरेली।

3—सूरज निवासी ग्राम पूरे लाल साहब थाना खीरों जनपद रायबरेली।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना जलालाबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में (पीली—सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 99 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1— रिंकू 2— मोहित 3— पवन 4— राजेश 5— दिलीप को

गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 99 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.02.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, नगद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी मोहल्ला प्रतापनगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

2–मोहित निवासी मोहल्ला प्रतापनगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

3–पवन निवासी ग्राम रूस्तमपुर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

4–राजेश निवासी मोहल्ला प्रतापनगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

5–दिलीप निवासी मोहल्ला प्रतापनगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–चोरी की भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 99 हजार 500 रूपये नगद।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट लखनऊ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 94 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोकीन**
- **नगद रूपये, एटीएम कार्ड, डीएल आदि बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ की टीम द्वारा सूचना के आधार पर किसान पथ अयोध्या रोड लिंक मार्ग दयाराम पुरवा, थाना बाबू

बनारसी दास (बी0बी0डी0) लखनऊ से अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 94 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोकीन, नगद रूपये, एटीएम कार्ड, डीएल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बाबू बनारसी दास (बी0बी0डी0) लखनऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– प्रदीप निवासी टिकरा उसमान थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लगभग 05 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 94 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोकीन।

2–नगद रूपये, एटीएम कार्ड, डीएल आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट प्रयागराज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल अवैध गांजा**
- **82 हजार 200 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 कन्टेनर ट्रक, 01 कार बरामद**

दिनांक 20.02.2025 को एएनटीएफ यूनिट प्रयागराज द्वारा सूचना के आधार पर मैक्सवेल अस्पताल के पास डाफी टोल प्लाजा थाना लंका वाराणसी कमिश्नरेट वाराणसी से 02 अभियुक्तों 1–शेषमणि उर्फ देवराज 2–सुभाष चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल अवैध गांजा, 82 हजार 200 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 कन्टेनर ट्रक, 01 कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना लंका वाराणसी कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शेषमणि उर्फ देवराज निवासी भसुंदर मंझली थाना मेजा, कमिश्नरेट प्रयागराज।

2—सुभाष चन्द्र निवासी भदेवरा वमैला सैदाबाद थाना हंडिया, कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1—लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 कुन्तल अवैध गांजा।

2—82 हजार 200 रूपये नगद।

3—04 मोबाइल फोन।

4—01 कन्टेनर ट्रक।

5—01 कार।

जनपद गोण्डा/थाना वजीरगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 19.02.2025 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिकरी मोड़ तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—बब्बन 2—विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्बन निवासी ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

2—विकास निवासी ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—चोरी की 17 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–02

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 01 कुन्तल 02 किलो अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 02 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 20.02.2025 को थाना फेस–02 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–82 कट भंगेल के पास से 04 अभियुक्तों 1–सुभाष उर्फ पिन्टू 2–जीत 3–लल्लन 4–अनुज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 01 कुन्तल 02 किलो अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 02 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनुज के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–02 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम माइलबासा थाना मुर्शिदाबाद जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।

2–जीत निवासी ग्राम बाउरा थाना सागरदिघी जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।

3–लल्लन निवासी डिआर माही नगर थाना जियगंज अजीमगंज जनपद मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।

4–अनुज निवासी खेरपुर थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर हालपता कुलेसरा थाना इकोटेक–3, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 01 कुन्तल 02 किलो अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 02 स्विफ्ट डिजायर कार।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **2350/– रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट बरेली द्वारा सूचना के आधार पर आलमपुर जाफराबाद में स्थित बमियाना तिराहा पर थाना भमोरा जनपद बरेली से 02 अभियुक्तों 1–ओमवीर 2–वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलोग्राम अवैध अफीम, 2350/– रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना भमोरा जनपद बरेली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमवीर निवासी सैनपुर थाना दातागंज जनपद बदायूॅ।

2–वीरेन्द्र निवासी ग्राम सल्लननगर थाना बिनावर जनपद बदायूॅ।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 05 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–2350/– रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट मेरठ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 31 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 06 किलो 200 ग्राम अवैध चरस**
- **1450/– रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा सूचना के आधार पर पीरवाली गली के कोने पर मण्डी समिति रोड थाना कोतवाली मण्डी जनपद

सहारनपुर से 02 अभियुक्तों 1—शादाब उर्फ हक्कल 2—महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 31 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 06 किलो 200 ग्राम अवैध चरस, 1450/— रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शादाब उर्फ हक्कल निवासी मोहल्ला खेलकला पुराना बाजार कैराना जनपद शामली।

2—महेन्द्र निवासी ग्राम लोहरेवाला थाना गणेशपुर जनपद कपिलवस्तु, नेपाल।

बरामदगी

1—लगभग 31 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 06 किलो 200 ग्राम अवैध चरस।

2—1450/— रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

- **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—सन्जू को धारा 302/149/148 भादवि, 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 65 हजार 200 रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2—सत्यवीर को धारा 302/149/148 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55 हजार 200 रूपये अभियुक्त 3—अखिलेश 4—महेन्द्र 5—पप्पू 6—महावीर को धारा 302/149/148 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 60 हजार 200 रूपये एवं अभियुक्त 7—इन्द्रवीर को धारा 302/149/148 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार 200 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 411/413/420/473 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजन उर्फ टाइगर 2–राकेश कुमार 3–राजकुमार को आजीवन कारावास व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना नौगांवा सादात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना नौगांवा सादात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नूरूद्दीन 2–शबाब आलम 3–सलीम उर्फ सलीमुद्दीन को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना थानगाँव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना थानगाँव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उत्तम उर्फ पटवारी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मझगवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मझगवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनुपम को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अरूण उर्फ सरदार को 20 वर्ष के कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ओमपाल को 10 वर्ष के कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः आगरा में बीमा कम्पनी से टोटल क्लेम/फुल एक्सीडेन्टल वाहन खरीदकर उनके चेसिंस नम्बर में कूटरचना कर अन्य वाहनों के नम्बर की टैम्परिंग कर मॅहगे दामों में बिक्री करने वाले गैंग के 02 सक्रिय सदस्य 02 टाटा सफारी के साथ गिरफ्तार।

दिनॉकः 19—02—2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बीमा कम्पनी से टोटल क्लेम/फुल एक्सीडेन्टल वाहन खरीदकर उनके चेसिंस नम्बर में कूटरचना कर अन्य वाहनों के नम्बर की टैम्परिंग कर महगे दामों में विक्री करने वाले गैग के 02 सक्रिय सदस्यों को 02 अदद टाटा सफारी ब्लैक कलर (एक डैमेज वाहन, एक वाटर डैमेज वाहन) की बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— आकाश सिंह पुत्र श्री ब्रजेशा कुमार सिंह नि0 डी—103 पुष्पांजलि गार्डेनिया थाना सिंकदरा आगरा मूल पता—ग्राम सेरापार थाना पोस्ट—हिसामुददीनपुर जिला बस्ती उ0प्र0।

2– अब्दुल समद पुत्र मोतीबुल रहमान नि0–नई आबादी करबला अबू लाला दरगाह के पास थाना न्यू आगरा जिला आगरा।

बरामदगीः–

1– 01 टाटा सफारी ब्लैक कलर नम्बर 23बीएच 9515बी

2– 01 टाटा सफारी डैमेज ब्लैक कलर बिना नम्बर

3– 01 एल्यूमीनियम प्लेट,

4– 01 आरयन प्लेट ब्लैक कलर नम्बर **Vechicle Chassis :MAT631201PWA00605** व **Engine Number :46343885-4207464.**

5– नकद 1000/–रूपये

6– 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–19–02–2025 समय–18.00 बजे होली पब्लिक स्कूल रोड जय अम्बे मोटर्स के सामने थाना क्षेत्र सिकन्दरा आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से आगरा में बीमा कम्पनी से टोटल क्लेम/फुल एक्सीडेन्टल वाहन क्रय कर उनके चेसिंस नम्बर में अवैध रूप से कूटरचना कर अन्य वाहनों के नम्बर की टैम्परिंग कर विक्रय करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 19–02–2025 को निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा, मु0आ0 विमल कुमार, मु0आ0 अमित चौहान, मु0आ0 दिनेश कुमार चौधरी, मु0आ0 कृष्णवीर सिंह की टीम भ्रमणशील थी। इसी दौरान सूचना मिली कि बाईपास रोड जय अम्बे मोटर्स गैराज नीरव कुन्ज में कुछ लडके टोटल लॉस की गाडी खरीदकर उनके इंजन व चेसिस नम्बर दूसरी गाडी में बदलकर तैयार कर रहे है जिन्हे महगे दामो पर बेचते है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना सिकन्दरा पुलिस को साथ लेकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताॅछ पर बताया कि उनका एक गिरोह है, जो नई टोटल क्लेम, रोड एक्सीडेन्टल फुल डैमेज गाड़ियों की चेसिस नम्बर व वाटर डैमेज वाली गाड़ियों जिनकी आर0सी0 निरस्त हो चुकी होती है, उनकी मरम्मत कराकर (डेन्टिंग–पेन्टिग) अच्छे दामों पर बेचते है। साथ ही एसी गाड़ियों के भिन्न–भिन्न पार्ट को मैकेनिक को बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सिकन्दरा आगरा में मु0अ0सं0 99/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————